क्रम संख्या 14

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 27 जनवरी, 2005 ई०
माघ 07, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 417/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005
देहरादून, 27 जनवरी, 2005

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) विधेयक, 2005, पर दिनांक 27–01–2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 07, सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) अधिनियम, 2005

(उत्तरांचल अधिनियम सं0 07, सन् 2005)

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 का उत्तरांचल में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में उत्तरांचल राज्य की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) अधिनियम, 2005 होगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगा।

मूल अधिनियम संख्या 6, सन् 1974 की धारा 9 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 में—

(क) उपधारा (1) में शब्द "पाँच रुपये" के स्थान पर शब्द "दस रुपये" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"(5) जहां किसी मामले में किसी अधिवक्ता द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट कल्याणकारी स्टाम्प वकालतनामा पर नहीं लगाया जाता है या उसे दाखिल नहीं किया जाता है वहां न्यायालय ऐसे अधिवक्ता को उस मामले में अग्रेतर कार्यवाही की अनुज्ञा नहीं देगा।"

आज्ञा से,

आई0 जे0 मल्होत्रा,
प्रमुख सचिव।

No. 417/Vidhayee & Sansadiya Karya/2005
Dated Dehradun, January 27, 2005

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Advocate Welfare Fund Act, 1974) (Amendment) Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 07 of 2005).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 27-01-2005.

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH ADVOCATE WELFARE FUND ACT, 1974) (AMENDMENT) ACT, 2005

(UTTARANCHAL ACT NO. 07 OF 2005)

Further to amend the Uttar Pradesh Advocate Welfare Fund Act, 1974 in its application to Uttaranchal

AN

ACT

Be it Enacted by the State Assembly of Uttaranchal in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows :--

Short title and Extent

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Advocate Welfare Fund Act, 1974) (Amendment) Act, 2005.

(2) It shall extends to the whole of Uttaranchal.

Amendment of Section 9 of Principal Act No. 6 of 1974

2. In section 9 of the Uttar Pradesh Advocate Welfare Fund Act, 1974 (hereinafter referred to as principal Act) ;--

(a) in sub-section (1) for the words "five rupees" the words "ten rupees" shall be substituted;

(b) after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely:--

"(5) where in any case the welfare stamp referred to in sub-section (1) is not affixed on the Vakalatnama or is not filed by any advocate, the court shall not permit such advocate for further proceeding in that case."

By Order,

I. J. MALHOTRA,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 07 विधायी / 31—2005—85+500 (कम्प्यूटर / रीजियों)।